1	योजना का नाम	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के दुर्घटना में घायल होने/मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाना। प्रीमियम राशि 10 रूपये प्रति छात्र एवं 5 रूपये प्रति छात्रा लिया जाकर राज्य बीमा विभाग में जमा करवाया जाता है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	1996
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 मे अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राऐं।
5	पात्रता	(1) राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत होना। (2) इन अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का बीमा प्रिमीयम जमा होना।
6	देय सुविधा	राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा के दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रूपये एवं दुर्द्धटना में अन्य शारीरिक क्षति होने पर 500 रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक के बीमा धन का भुगतान किया जाता है।

7	आवेदन का तरीका	छात्र-छात्रा के दुर्घटना में मृत्यु/अन्य शारीरिक क्षति होने पर बीमा दावा संबंधित शाला प्रधान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र(संलग्न) में राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को तैयार कर तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करना होता है।
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित शाला प्रधान के द्वारा राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	(1) दुर्घटना होने का चिकित्सक का प्रमाण-पत्र (2) मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य